Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रकीर्ण परिवाद सं0 02/2024

श्रीमती हिमानी बिष्ट,
पुत्री श्री सुरेन्द्र बिष्ट,
निवासी–राजोवाली, होरावाला,
विकासनगर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 22.10.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रकीर्ण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 38/2024 श्रीमती हिमानी बिष्ट, पुत्री श्री सुरेन्द्र बिष्ट, निवासी– राजोवाली, होरावाला, विकासनगर, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, विकासनगर, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 12.09.2024 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

मंच द्वारा वाद संख्या 38/2023 में पारित निम्न आदेशानुसार *" मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माननीय* ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 3: Releasae of New Connections*** *के* ***Table 3.5*** *के अनुसार 10 किलोवाट से 25 किलोवाट संयोजन हेतु उपभोक्ता से किसी भी प्रकार के* ***Transformer*** *का शुल्क/मूल्य नहीं लिया जाना चाहिए एवं उपरोक्त विनियम के ही* ***CHAPTER 3: Releasae of New Connections*** *के* ***3.3.1.(2)b*** *के अनुसार ही परिवादिनी*

संयोजन पाने का आधिकारी है। उपरोक्त परिस्थितियों के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी परिवादिनी को पंजीकृत संख्या 446070123020 के सापेक्ष प्रेषित मॉग पत्र जिसका भुगतान परिवादी द्वारा रू0 4,95,500.00 रसीद संख्या 14446020223W990001 के द्वारा दिनांक 02/02/2023 को किया जा चुका है को निरस्त कर उक्त प्राकलन के स्थान पर उपरोक्त रेगुलेशन के अनुसार ***the distance of the premises from the LT Main 176.5 Meters.*** *मानते हुए* ***Executed Estimate*** *बनाये एवं उस धनराशि को वर्तमान प्रकालन से घटाते हुए बची हुई शेष धनराशि परिवादिनी को लौटाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रस्तुत प्राकलन में* ***Transformer*** *के लिए ली गई धनराशि भी परिवादिनी को वापस लौटाई जाए। वापिस लौटाई जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ती के 30 दिनों के अंतर्गत मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।"* का विद्युत विभाग द्वारा शिकायम दर्ज कराने के तिथि दिनांक 27/07/2024 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 12.09.2024 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि 19.09.2024 को मंच के पूर्व पारित आदेश दिनांकित 12.09.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार विपक्षी को परिवादी द्वारा अतिरिक्त जमा धनराशि रूपये 389000.00 पर दिनांक 30.12.2024 तक ब्याज की कुल धनराशि रूपये 22293.00 उपभोक्ता को वापिस किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 12.09. 2023 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 12.09.2023 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। **उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/10/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22.10.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

प्रकीर्ण परिवाद सं0 04/2024

श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व0 बलवीर सिंह,
निवासी–लेन जे0 अलकनन्दा एन्क्लेव,
नत्थनपुर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,(रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 28.10.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रर्कीण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 160/2023 श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व0 बलवीर सिंह, निवासी– लेन जे0, अलकनन्दा, एन्क्लेव, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (रायपुर) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 29.06.2024 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

मंच द्वारा वाद संख्या 160/2024 में पारित निम्न आदेशानुसार *" मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 06.06.2022 का बीजक निरस्त कर उक्त बिल को परिवादी की अधिकतम मॉग LDHF सूत्र के अनुसार 172.8 अर्थात् 173 यूनिट आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। "*का विद्युत विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के तिथि दिनांक 21/08/2024 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 29.06.2024 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 5722 दिनाकित 04.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता विद्युत संयोजन संख्या 976/9999/998196 का दिनांक 06.06.2022 का बीजक निरस्त कर उक्त बीजक को परिवादी की अधिकतम मॉग LDHF सूत्र के अनुसार 173 यूनिट के आधार पर संशोधित कर परिवादी को भी इस विषय में सूचित कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 29.06.2024 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 29.06.2024 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। **उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28.10.24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28.10.24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

<u>प्रकीर्ण परिवाद सं0 06/2024</u>

मै0 बी0एम0सेल्स प्रा0लि0,
निवासी–सहारनपुर रोड़, मौहब्बेवाला,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,(दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक : 29.10.2024

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत प्रर्कीण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 37/2023 मै0 बी0एम0सेल्स प्रा0लि0, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 05.09.2023 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

मंच द्वारा वाद संख्या 37/2023 में पारित निम्न आदेशानुसार *"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के माह फरवरी 2023 के बिल में जोड़ी गई अनुपूरक बीजक की धनराशि रू0 2,76,489.00 को समाप्त करते हुए परिवादी को संशोधित बिल जारी करना सुनिश्चित करें। संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा अनुपूरक बीजक की धनराशि रू0 2,76,489.00 जो जमा की जा चुकी है, को आगामी विद्युत बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें।"* का विद्युत विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के तिथि दिनांक 20/09/2024 तक भी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 05.09.2023 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 2240 दिनाकित 25.09.2024 के द्वारा अवगत करायया गया कि आपके आदेश दिनांक 05.09.2023 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 2779 दिनांक 11.10.2023 के द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किये गये अनुपूरक बीजक की धनराशि को उसके बिल में समायोजित किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही कर दी गई थी। आपके कार्यालय पत्रांक 248 दिनांक 21.09.2024 के द्वारा अनुपूरक बीजक की धनराशि रू0 2,76,489.00 उपभोक्ता के बिल में समायोजित न होने का संज्ञान होने पर उक्त धनराशि पूर्व में उपभोक्ता के बिल से तकनीकि कारणवश/मानवीय त्रुटी के कारण समायोजित न होने पर पुनः उक्त धनराशि को उपभोक्ता के बिल में समायोजित कर लिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 05.09.2023 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 05.09.2023 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। **उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29.10.24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29-10-2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 58/2024

श्री भाग सिंह — परिवादी
निवासी– शिव लोक कालोनी, बाबू गढ
विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 03/10/.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी का नाम भाग सिंह पुत्र श्री पूरचन्द्र, निवासी शिवलोक कालोनी बाबू गढ, विकास नगर में खुद के मकान में निवास करता है। प्रार्थी इस समय आई0टी0बी0पी0 पुलिस 6बी.एन छपरा बिहार में कार्यरत है। प्रार्थी के पिछले महीने का बिल 3776 रूपये आया था, प्रार्थी हर महीने बिजली का बिल जमा करता है। हमारे तरह से हमारे पास विद्युत बिल की कोई भी राशि बकाया नही है। प्रार्थी का बिल संख्या नं0 23143100679 है, जबकि प्रार्थी का जून महीने का बिल 23,646.00 रूपये आया है। महोदय मेरे मीटर की जॉच की जाये या कर विद्युत बिल को कम किया जाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 3039, दिनांकित 12/08/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उक्त परिवाद के सन्दर्भ में बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. परिवादी का विद्युत संयोजन श्री भाग सिंह, शिवलोक कालोनी, बाबूगढ विकासनगर, देहरादून के नाम से दिनांक 12.05.2011 को श्रेणी– STN 10/OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 04 KW में निर्गत किया गया है। जिसका विद्युत भार– 02 कि0वा0 है।
2. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में मा0 फोरम को अवगत कराया गया है कि माह जून 2024 का विद्युत बीजक अधिक धनराशि आया है।
3. परिवादी के कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि परिवादी का बीजक आर0डी0एफ0 आधार पर निर्गत किये जा रहे थे। जिसको दिनांक 17.06.2023 से दिनांक 22.04.2024 तक सिस्टम के माध्यम से आर0डी0एफ0 से एम0यू0 में संशोधित कर दिया गया है।
4. परिवादी द्वारा अधिक खपत होने की दशा में मीटर तेज चलने के संदेह के तहत चैक मीटर स्थापित किया गया था जिसमें कोई अन्तर नहीं पाय गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता का विद्युत मीटर सही है एवं माह जून 2024 में निर्गत बीजक वास्तविक खपत के आधार पर ही है।

अतः बीजक संशोधन हो जाने तथा चैक मीटर में कोई अन्तर नहीं आने पर परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 18.08.2024 से दिनांक 18.02.2024 अर्थात् 04 बिल चक्रों में आर0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, तत्पश्चात् दिनांक 22.04.2024 को एकाएक 5206 यूनिट जो की रू0 20096.00 धनराशि का विद्युत बिल जारी किया गया है, जिस पर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक विद्युत खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विवादित बिल चक्र 04/2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा परिवादी को जो भी बिल प्रेषित किये जाते रहे है, उनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में स्वंय भी स्वीकार किया है कि परिवादी को आर0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे थे।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2) (7)** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नही किया गया है, जिस कारण वर्तमान में शिकायत की उत्पत्ति हुई है, जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

विपक्षी उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को बिल चक्र 04/2024 में प्रेषित विद्युत बिल निरस्त कर उक्त विद्युत बिल की पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2023, 04/2023 एवं 02/2023 क्रमशः (747+468+509/3=574.66) अर्थात् 575 यूनिट के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी की विद्युत बिलिंग **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The**

Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2) (7) के तहत किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03/10/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

03-10-2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 61/2024

श्रीमती शमा परवीन
मकान संख्या– 55/1, मित्रलोक कॉलोनी,
बल्लुपुर रोड़, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 22.10.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा खपत से अधिक के विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी के कथनानुसार उनके द्वारा चैक मीटर लगाने के लिए आवेदन किया गया था। दिनांक 25.07.2024 को 29.07.2024 के चैक मीटर लगाने के लिए आये परन्तु मीटर के खराब होने के कारण चैक न लगाकर नया मीटर लगा दिया जिसके यूनिट बिलकुल नहीं आ रही है।

अतः मंच से निवेदन है कि पहले जो विद्युत बिल बढ़कर आये है उनका संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 656 दिनांकित 16/08/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के श्रीमती शमा परवीन, 55/1, मित्रलोक कालोनी, बल्लपुर, देहरादून (विद्युत संयोजन संख्या SD26114126784) द्वारा अधिक बिल आने की शिकायत की है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 655/वि0वि0उ0ख0 वसंत विहार/मीटर दि0 16.08.2024 से सहायक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अभियन्ता–मीटर, विद्युत परीक्षणशाला, (दक्षिण) देहरादून को उपभोक्ता के मीटर संख्या 59211 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट तथा मीटर जम्प होने के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिसका उत्तर प्रतिक्षित है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथिया 16.08.2024, 05.09.2024,23.09.2024, 26.09.2024 एवं 30.09.2024 नियत की गई थी, उपरोक्त सभी सुनवाई तिथियों से परिवादी को मंच द्वारा दूरभाष के माध्यम से संपर्क किये जाने का प्रयास किया गया परन्तु परिवादी द्वारा उपल्बध कराये मोबाईल नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया। परिवादी उपरोक्त किसी तिथि में मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई आचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की ओर से दी गई लिखित शिकायत के स्पष्ट न होने तथा वादी के अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/10/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22-10-2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 66 / 2024

श्री पवन कुमार,
पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार,
मकान संख्या– 362डी, गढी कैन्ट,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम

दिनांक : 28.10. 2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या 7021272122257 में गलत तरीके रू0 126.00 राशि जोड़े जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी के कथनानुसार उनके उपरोक्त विद्युत संयोजन के बिल में रू0 126.00 जुड के आ गये है। विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वह राशि अतिरिक्त जमानत धनराशि के रूप में जोड़ी जा रही है। परिवादी का कथन है कि जब उनके द्वारा पूर्व में ही जमानत राशि जमा कराई जा चुकी है तो पुनः इस प्रकार की जमानत राशि उनके बिल में जोडी जा रही है। उक्त जमानत राशि बिना पूर्व सूचना के जोडी गई है, अतः मंच से निवदेन है कि रू0 126.00 लौटाए जाने के आदेश करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 361 दिनांकित 06/09/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में प्रदर्शित 126 रूपये अतिरिक्त प्रतिभूति जमा धनराशि है। जो उपभोक्ता के विद्युत बिल में उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 390/UPCL/RM/F-4 दिनांक 25.01.2024 के अनुपालन में प्रदर्शित कर ई0एम0आई0 बनाकर किस्तो में जमा करायी जा रही है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथिया 23.09.2022, 26.09.2024 एवं 03.10.2024 नियत की गई थी, उपरोक्त सभी सुनँवाई तिथियों से परिवादी को मंच द्वारा दूरभाष के माध्यम से भी अवगत कराया गया था, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी तिथि में मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई आचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28.10.2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28.10.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 77/2024

Shri. Arvind Kumar **V/s** **Executive Engineer, EDD, Doiwala**

ORDER SHEET

Date- 22.10.2024

निर्णय

पत्रावली में दिनांक 26.09.2024 की सुनवाई तिथि नियत थी। उभय पक्ष उपस्थित थें। विपक्षी की और से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित थे। विपक्षी द्वारा वाद के संबंध में सुनवाई के दौरान आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा बार–बार मौखिक रूप से विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु कहा जा रहा है, जिससे परिवादी का मानसिक रूप से उत्पीडन हो रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को अंतरिम आदेश जारी करने की कृपा की जाय कि मंच के निर्णय होने तक विद्युत विभाग उक्त विद्युत संयोजन को बाधित न करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा पत्रांक संख्या 1075 दिनांकित 24/09/2024 मंच में प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिवादी अरविन्द कुमार को विभाग की ओर से विद्युत संयोजन विच्छेदन की चेतावनी इसलिए दी गई थी ताकि लम्बें समय से बकाया विद्युत बिल का भुगतान करे। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत पत्रांक का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि परिवादी की मूल शिकायत मंच में पोषणीय नहीं है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वाद प्रस्तुत मंच में आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद मंच में पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/10/2024 — 22-10-2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 88/2024

Smt. Kasturi Devi **V/s** **Executive Engineer, EDD,Rishikesh**

ORDER SHEET

Date- 24.10.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 24.10.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई तिथि को आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका विद्युत मीटर खराब होने के कारण जंप मार रहा है, जिससे की उनका विद्युत बिल रू0 65046.00 का गलत आ रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत बिल संशोधित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1042 दिनांकित 23.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत संयोजन संख्या RK22229177305 दिनांक 14.07.2023 (लगभग 1 साल 2 माह पूर्व) को निर्गत किया गया है। अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिर्पोट में अवगत कराया गया कि जब से उपभोक्ता द्वारा मकान का निर्माण किया गया है तक से मकान बन्द ही रहता है। उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित 460 वाट के विद्युत उपकरण से 9 माह में धनराशि 329927.00 रू0/ का विद्युत बिल सम्भव नहीं है। उपभोक्ता के द्वारा 24.09.2024 को विद्युत बिल ठीक करने हेतु आवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था जिस पर इस कार्यालय द्वारा उपभोक्ता का विद्युत बिल Normative Consuption के आधार पर संशोधित कर दिया गया है, जिसकी कुल धनराशि 5214.00 रू0/है। तथा 342186.00 रू0/सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से उपभोक्ता के विद्युत बिल से कम कर दिया गया है। जिससे कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत का निवारण कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी मौखिक रूप से विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी मौखिक संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24.10.2024 24.10.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य